

सूचना

सत्र 2017-18 अल्प संख्यक समुदाय हेतु मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिये पात्र छात्र-छात्राओं से ऑन लाईन भरे हुये छात्रवृत्ति फार्म की 2 प्रति (हार्ड कापी) महाविद्यालय में जमा करने की

Fresh – अंतिम तिथि – 31.08.2018

Renewal – अंतिम तिथि – 31.07.2018

कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर छ.ग. के पत्र क्र. अ.स./मेकमी/न.कं.-03/2017-18/2314 दि. 8.06.2017 के माध्यम से जारी सूचना के आधार पर विगत परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक पाने वाले एवं पालक/अभिभावक के वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख तक वाले अल्प संख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) वाले समस्त विद्यार्थियों को एवं अन्य पात्र विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 के लिये मेरिट कम मीन्स योजना एवं अन्य योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व केन्द्र सरकार के वेबसाइट www.scholarships.gov.in के Home Page पर FAQs में आवेदन करने हेतु दिये गये निर्देशों को आवश्यक रूप से एवं सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ही आवेदन भरे। यदि आवेदन भरने में किसी प्रकार की त्रुटी होती है जिसके कारण आवेदन अमान्य होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।

- किसी भी तरह की त्रुटीपूर्ण/गलत जानकारी दिया जाना पाये जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

महत्वपूर्ण निर्देश –

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. विगत वर्ष की परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होना आवश्यक है।
3. आवेदक का आधार नम्बर होना आवश्यक है यदि आधार नंबर न हो तो उस स्थिति यदि विद्यार्थी आधार के लिये Enrllled है तो उसका आधार Enrllled I.D. स्लीप अथवा आधार Enrllment के लिये जो आवेदन किया है उसकी छायाप्रति पहचान के रूप में संलग्न/प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. नवीन तथा नवीनीकरण दोनो श्रेणियों के आवेदकों को उनके पालक/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) से अधिक होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

नवीन तथा नवीनीकरण दोनो श्रेणियों के आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है –

1. पासपोर्ट साईज फोटो
 2. आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
 3. अल्प संख्यक का प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
 4. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी निवास प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
 5. विद्यार्थी का आधार कार्ड की फोटो काफी होना आवश्यक है।
 6. विद्यार्थी के स्वयं के नाम की फोटो लगी बैंक एकाउंट पास बुक के प्रथम पेज की फोटो कापी की स्वच्छ प्रति जिसमें बैंक का खाता क्र. एवं IFSC code लिखा होना आवश्यक है।
 7. वर्तमान पाठ्यक्रम की फीस रसीद की फोटो कापी A-4 Size paper में।
 8. अंक सूची विगत परीक्षा –

• BE. 1 st Sem	के छात्र	–	10 th & 12 th	Self Attested
• BE. 3rd Sem	के छात्र	–	1st & 2nd Sem	Self Attested
• BE. 5th Sem	के छात्र	–	3rd & 4th Sem	Self Attested
• BE. 7th Sem	के छात्र	–	5th & 6th Sem	Self Attested
 9. गैर न्यायिक (Non Judicial) स्टाम्प पर आय के संबंध में पालक का शपथ पत्र
 10. संस्था का प्रमाण पत्र (संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित)
 11. विद्यार्थी का घोषणा पत्र
- ऑन लाईन भरे हुये छात्रवृत्ति फार्म की हार्ड कापी दो प्रतियों में प्रिंट कर अपलोड किये गये आवश्यक दस्तावेजों के साथ समयावधि में निर्धारित अंतिम तिथि के पहले प्रशासनिक कार्यालय में मनमोहन शर्मा के पास जमा करावेगें। अंतिम तिथि के बाद छात्रवृत्ति फार्म किसी भी हालत में जमा नहीं लिये जावेगें।

Copy to –

1. All Notice Board/Student Section
2. All Classes – Circulation

Principal